

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now papers to be laid on the Table of the House.

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(Placed in Library, See No. LT 536/16/14)

(2) वर्ष 2014-2015 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(Placed in Library, See No. LT 537/16/14)

(3) वर्ष 2014-2015 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का परिणामी बजट।

(Placed in Library, See No. LT 538/16/14)

**THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI ANANTHKUMAR):** Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Outcome Budget (Hindi and English versions) of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 539/16/14)

**कृषि मंत्री (श्री सधा मोहन सिंह) :** मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष

2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 540/16/14)

**संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) असम अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 541/16/14)

(दो) डोनाई पोतो अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 542/16/14)

(तीन) मध्य प्रदेश अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 543/16/14)

(चार) पांडिवेरी अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 544/16/14)

(पाँच) रॉची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 545/16/14)

(छह) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. LT 546/16/14)

- (2) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाह्रुंग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाह्रुंग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(Placed in Library, See No. LT 547/16/14)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT, ENTREPRENEURSHIP, YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Madam I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Sports Development Fund, New Delhi, for the year 2012-2013.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 548/16/14)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sports Authority of India, New Delhi, for the year 2011-2012.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 549/16/14)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, Sriperumbudur, for the year 2012-2013.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library, See No. LT 550/16/14)

(7) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2014-2015.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI NIHAL CHAND): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Chemicals and Fertilizers for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 552/16/14)

(ii) Outcome Budget of the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2014-2015.

(Placed in Library, See No. LT 553/16/14)

(2) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Kolkata, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(Placed in Library, See No. LT 554/16/14)

(4) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Guwahati, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(Placed in Library, See No. LT 555/16/14)

(6) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar, for the year 2012-2013, together with Audit Report thereon.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(Placed in Library, See No. LT 556/16/14)

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2012-2013.

(ii) Annual Report of the Rajasthan Drugs and Pharmaceuticals Limited, Jaipur, for the year 2012-2013, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(9) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (8) above.

(Placed in Library, See No. LT 557/16/14)

(10) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 36 of the National Institute of Pharmaceuticals Education and Research Act, 1998.

(i) The National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (Amendment) Statutes, 2014 published in Notification No. G.S.R. 433(E) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> July, 2014.

(ii) The National Institute of Pharmaceuticals Education and Research (Degree of Masters and Doctor of Philosophy) amended Ordinance, 2014 published in Notification No. G.S.R.406 in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> January, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 558/16/14)

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodity Act, 1955:-

- (i) S.O.114(E) published in Gazette of India dated 16<sup>th</sup> January, 2014, order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Rabi Season, 2013-2014.
- (ii) S.O.1088(E) published in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> April, 2014, order indicating the supplies of urea to be made by domestic manufacturers of urea to States and Union Territories during Kharif Season 2014.

(Placed in Library, See No. LT 559/16/14)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJJU): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section 20 of the Protection of Human Rights Act, 1993:-

- (i) Special Report to Parliament of India on Silicosis of the National Human Rights Commission.
- (ii) Memorandum of Action Taken on the Special Report on Silicosis of the National Human Rights Commission.

(Placed in Library, See No. LT 560/16/14)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Foreigners Order, 1948:-

- (i) S.O.1479(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> June, 2014, designating Mangalore seaport in Dakshina Kannad District of Karnataka State as an authorized Immigration check post for entry into India with valid travel documents for all classes of passengers.
- (ii) S.O.1480(E) published in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> June, 2014, appointing Commissioner of Police, Mangalore city, as the "Civil Authority" for the purpose of Foreigners Order, 1948 for the Immigration check post located at Mangalore sea port in the jurisdiction of Dakshina Kannad District of Karnataka State with effect from 01.07.2014.
- (iii) S.O.1421(E) published in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> June, 2014, appointing the Foreigners Regional Registration Officer, Ahmedabad in Bureau of Immigration, as the Registration Officer to perform the functions of the Registration Officer under rule 3 of the Registration of Foreigners Rules, 1992 and the Foreigners Order, 1948 for the jurisdiction of Ahmedabad City, Ahmedabad Rural and Gandhi Nagar District of Gujarat under the administrative control of Commissioner of Police, Ahmedabad Superintendent of Police, Ahmedabad Rural and Superintendent of Police, Gandhi Nagar District respectively in the State of Gujarat with effect from 1<sup>st</sup> August, 2014.
- (iv) The Foreigners (Amendment) Order, 2014 published in Notification No. S.O. 1422(E) in Gazette of India dated 2<sup>nd</sup> June, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 561/16/14)

(3) A copy of the Delhi Police (Punishment and Appeal)(Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. 13/28/2011/HP-I/Estt./3891 to 3897 in Delhi Gazette dated 30<sup>th</sup> November, 2011 under sub-section (2) of Section 148 of the Delhi Police Act, 1978:-

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 562/16/14)

(5) A copy of the Border Security Force Para Veterinary Staff, Group 'B' and 'C' posts (Combatised) Recruitment Rules, 2014 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 81(E) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> February, 2014 under sub-section (3) of Section 141 of the Border Security Force Act, 1968.

(Placed in Library, See No. LT 563/16/14)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949:-

- (i) The Central Reserve Police Force Group 'B' and 'C' (Radio Operator, Crypto, Technical, Radio Fitter, Draughtsman)(Non-Gazetted) Male or Female ranks (Signals) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. G.S.R. 144 in Gazette of India dated 14<sup>th</sup> May, 2011.
- (ii) The Central Reserve Police Force, Group 'B' posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014 published in Notification No. G.S.R. 88(E) in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> February, 2014.

(Placed in Library, See No. LT 564/16/14)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान) : में निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 2014-2015 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 565/16/14)

(2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2014, जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ.1632(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2014, जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का.आ.1508(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(Placed in Library, See No. LT 566/16/14)

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क)(एक) जम्मू और कश्मीर हार्दिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1994-1995 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्दिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1994-1995 का वार्षिक प्रतिवेदन, तैयारपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 567/16/14)

(ख)(एक) जम्मू और कश्मीर हार्दिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1995-1996 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्दिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1995-1996 का वार्षिक प्रतिवेदन, तैयारपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. LT 568/16/14)

(ग)(एक) जम्मू और कश्मीर हार्दिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1996-1997 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू और कश्मीर हार्दिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1996-1997 का वार्षिक प्रतिवेदन, तैयारपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 569/16/14)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : श्री शकसाहेब दादाशव दानवे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 570/16/14)

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

- (एक) चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 280(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सा.का.नि. 326(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 01.04.2014 से प्रारंभ होकर 31.05.2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्चा चीनी उत्पादन के लिए विपणन तथा संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन की दर प्रति मीट्रिक टन दो हजार दो सौ सततर रूपए होगी।
- (तीन) सा.का.नि. 369(अ)/आव.व./गन्ना जो 30 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी सत् 2012-2013 के लिए गन्ने का निर्माणाधार उचित तथा लाभकारी कीमत अधिसूचित किया गया है।
- (चार) सा.का.नि. 394(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि 01.06.2014 से प्रारंभ होकर 31.07.2014 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कच्चा चीनी उत्पादन के लिए विपणन तथा संवर्धन सेवाओं हेतु प्रोत्साहन की दर प्रति मीट्रिक टन तीन हजार तीन सौ रूपए होगी।
- (पाँच) विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुसूचिकरण अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संतलन प्रतिबंध) निराकरण (संशोधन) आदेश, 2014 जो 3 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1685(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(Placed in Library, See No. LT 571/16/14)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (क)(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-करवाई संबंधी ज्ञापन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. LT 572/16/14)

- (ख)(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-करवाई संबंधी ज्ञापन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 573/16/14)

(3) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आरक्षण नीति लागू नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली का विशेष प्रतिवेदन, 2013 ।
- (दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में आरक्षण नीति लागू नहीं किए जाने के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के विशेष प्रतिवेदन, 2013 में व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 574/16/14)

(5) अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2014 जो 23 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 575/16/14)

(6) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (सभापति तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों) (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 576/16/14)

---